कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांकः क्यू/आ.का./भू.अ./1/2018 डबरा दिनांकः 18.09.2018

//आदेश/

कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर के निर्देशानुसार श्री अमित रहेजा पुत्र श्री ओमप्रकाश रहेजा को म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 म.प्र.भू-अभिलेख नियमावली (संशोधित दिनांक 25.05.2018) अध्याय 1 खण्ड 1 की कंडिका (3) के तहत पटवारी पद के वेतनमान 5200-20200 2100 ग्रेड पे पर म. प्र. भू-अभिलेख और बंदोबस्त तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2012 के नियम 13 अंतर्गत 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर तहसील डबरा जिला ग्वालियर में अस्थाई रूप से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

1- यह नियुक्ति अस्थायी होगी एवं भू-अभिलेख नियमावली तथा अन्य सामान्य सेवा शर्तों के अध्यधीन होगी। उम्मीदवार की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की गई है।

2- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक अस्थायी तथा अर्ध अस्थायी सेवा नियम 1960 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके ऐवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

3- कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के समय जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारियों का चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नियम अवधि में प्रस्तुत ना करने पर सेवा बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

4- नियुक्त उम्मीदवार के विरूद् किसी प्रकार का अपराध सिद्व् होने से नियुक्ति बिना सूचना के निरस्त की जा सकेगी।

5- नियुक्त कर्मचारी को विवाह/संतान संबंधी शपथ पत्र देना होगा।

6- अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुये सीपीसीटी परीक्षा (हिन्दी टाईपिंग एवं कम्प्यूटर प्रोफिशिएसी) उत्तीण होने पर ही नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष पश्चात सेवा में स्थायी किया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी नियुक्ति पूर्व से सीपीसीटी उत्तीर्ण नहीं है तो उसे नियुक्ति दिनांक से दो वर्ष के भीतर सीपीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में नियम समयावधि में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी सेवा बिना सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

7- अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में स्थायीकरण भू-अभिलेख नियमावली (संशोधित दिनांक 25.05.2018) अध्याय 1 खण्ड 2 की कंडिका 3 अनुसार